109

सत्यमेव जयते

भारत का विधि आयोग

एक-सौ नौवीं रिपोर्ट

अश्लील और अशिष्ट विज्ञापन तथा प्रदर्शन—भारतीय दण्ड संहिता

की धारा

292 और धारा 293

जनवरी 1985

79.551
M553

न्यायमूर्ति के० के० मैथ्यू

अर्द्ध० आ० सं० एफ० 2 (12)/84—एल० सी०

तारीख: 8 जनवरी, 1984

प्रिय मंत्री महोदय,

मैं इसके साथ विधि आयोग की एक-सौ नौवीं रिपोर्ट भेज रहा हूं जो "अश्लील और अशिष्ट प्रदर्शन: भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 और धारा 293" के संबंध में है। विधि आयोग ने स्वप्रेरणा से इस विषय पर विचार किया है।

इस रिपोर्ट को तैयार करने में श्री पी० एम० बक्षी, अंशकालिक सदस्य और श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, सदस्य-सचिव ने जो मूल्यवान् सहयोग दिया है उसके लिए आयोग उनका आभारी है।

भवदीय,

(के० के० मैथ्यू)

श्री अशोक कुमार सेन,
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
नई दिल्ली

संलग्न : एक-सौ नौवीं रिपोर्ट

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1
2.	घृणोत्पादक विज्ञापनों के बारे में भारत में वर्तमान विधि	2
3.	इंग्लैंड में विधि	5
4.	धारा 292 में संशोधन की आवश्यकता	7
5.	अशिष्टता और अश्लीलता —धारा 293क को अन्तःस्थापित करने की आवश्यकता	9
6.	कार्य संचालन पत्र के बारे में प्राप्त आलोचनाएं	13
7.	सिफारिशें	15

941MofLJ&CA—1(a)

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 इस रिपोर्ट में जिस प्रश्न की चर्चा की गई है वह यह है कि क्या भारत में अशिष्ट विज्ञापनों और प्रदर्शनों से संबंधित विधि में सुधार करने की आवश्यकता है ? विधि आयोग ने स्वप्रेरणा से इस प्रश्न की जांच इस कारण की है कि कभी-कभी यह विचार प्रकट किया जाता है कि सड़कों और गलियों में विभिन्न प्रकार के अशिष्ट विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं या समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं में और अन्य माध्यमों से प्रकाशित किए जाते हैं और ये सब महिलाओं की प्रतिष्ठा तथा गरिमा के लिए अपमानजनक होने के अलावा समाज के नैतिक मूल्यों की हानि कर सकते हैं । विस्तार और महत्व ।

1.2 भारतीय अधिनियमों में अनेक प्रकार के ऐसे उपबन्ध हैं जो उपर्युक्त बुराई को रोकने के लिए आशयित हैं । इनमें से कुछ तो साधारण प्रकृति के हैं और कुछ विशिष्ट प्रकृति के हैं ।[1] इस बात के बारे में भिन्न-भिन्न राय हो सकती है कि सब मिलाकर ये उपबन्ध अशिष्ट विज्ञापनों को रोकने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं । किन्तु इन उपबन्धों की जांच करने से कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि इस विषय के संबंध में विचारों को स्पष्ट किया जा सके और इस समस्या के गम्भीर अध्येता को वर्तमान विधि के अन्तर्गत आने वाली बातों की अच्छी जानकारी मिल सके । इस विषय से सम्बन्धित विधि के अध्ययन की उपयोगिता ।

1.3 तदनुसार हम वर्तमान विधि की संक्षेप में चर्चा करने का विचार कर रहे हैं और तब यह जांच करेंगे कि क्या उसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है ? अभी हाल में ही इंग्लैंड में अशिष्टता के विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट हुआ है और वहां अशिष्ट प्रदर्शनों के संबंध में एक अधिनियम[2] पारित किया गया है । इंग्लैंड में अभी हाल में हुए विकास पर भी ध्यान देना उपयोगी होगा, किन्तु यह अवश्य बता दिया जाना चाहिए कि हाल में ही पारित इंग्लिश अधिनियम में अशिष्ट विज्ञापनों से संबंधित सम्पूर्ण विषय पर ही ध्यान नहीं दिया गया है बल्कि कुछ ऐसे स्पष्ट रूप से निर्लज्ज प्रदर्शनों पर भी ध्यान दिया गया है जो सार्वजनिक स्थानों (विशेषकर बाजार के स्थानों) पर प्रदर्शित किए जाने के कारण लोगों को "आघात पहुंचाते हैं और घृणा उत्पन्न करते हैं।"[3] पद्धति ।

1.4 यहां यह उल्लेख कर देना चाहिए कि इस विषय पर राय जानने के लिए हमने एक कार्य-संचालन पत्र तैयार किया था और उसे हितबद्ध व्यक्तियों तथा निकायों को भेजा गया था और उनसे आलोचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया था । कार्य-संचालन पत्र के बारे में कुछ आलोचनाएं प्राप्त हुई हैं जिन पर आगे के अध्याय में विचार-विमर्श किया जाएगा ।[4] कार्य-संचालन पत्र ।

---

1. आगे अध्याय 2 देखिए ।
2. इन्डीसैन्ट डिस्प्लेज (कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1981 (अध्याय 42) इंग्लैंड ।
3. आगे पैरा 3.7 से पैरा 3.12 तक देखिए ।
4. आगे अध्याय 6 ।

अध्याय 2

घृणोत्पादक विज्ञापनों के बारे में भारत में वर्तमान विधि

घृणोत्पादक विज्ञापनों के बारे में साधारण और विशेष उपबन्ध

2.1 भारत में वर्तमान विधि के अधीन घृणोत्पादक विज्ञापनों के लिए दण्ड दिया जाना अनेक कानूनी उपबन्धों द्वारा अनुज्ञात है मोटे तौर पर इनका वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है :—

(1) साधारण उपबन्ध, और

(2) विशेष उपबन्ध ।

"साधारण" उपबन्धों से हमारा तात्पर्य भारतीय दंड संहिता के उस उपबन्ध से है जो अश्लीलता के संबंध में है (धारा 292)[1] । यह धारा अनेक प्रकार की बातों को लागू होती है और इतनी व्यापक है कि इसके अन्तर्गत सभी अश्लील प्रकाशन आ जाते हैं इसके विपरीत, विशेष उपबन्ध विशेष प्रकार के लेखन या अन्य अश्लील विषयों तक सीमित हैं ।

साधारण उपबन्ध (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292) ।

2.2 जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस विषय पर साधारण उपबन्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 में है। यह धारा निम्नलिखित रूप में है :—

292. **अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि**— उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या उसका या (जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं) वहां उसकी किसी मद का प्रभाव, समग्ररूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाए जिनके द्वारा उसमें अन्तर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्भाव्य है।

(2) जो कोई—

(क) किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे वह कुछ भी हो, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा, या उसको किसी भी प्रकार परिचालित करेगा, या उसे विक्रय, भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रखेगा, उत्पादित करेगा, या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा

(ख) किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात या प्रवहण पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए करेगा या यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोक प्रदर्शित, या किसी प्रकार से परिचालित की जाएगी, अथवा

(ग) किसी ऐसे कारबार में भाग लेगा या उससे लाभ प्राप्त करेगा, जिस कारबार में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तुएं पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए रची जाती, उत्पादित की जाती, क्रय की जाती, रखी जाती, आयात की जाती, निर्यात की जाती, प्रवहण की जाती, लोक प्रदर्शित की जाती या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती हैं, अथवा

(घ) यह विज्ञापित करेगा या किन्हीं साधनों द्वारा, चाहे वे कुछ भी हों यह ज्ञात कराएगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में, जो इस धारा के अधीन अपराध है, लगा हुआ है, या लगने के लिए तैयार है, या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, अथवा

---

1. आगे पैरा 2.2 ।

(ङ) किसी ऐसे कार्य को, जो इस धारा के अधीन अपराध है, करने की प्रस्तावना करेगा या करने का प्रयत्न करेगा,

प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्-वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डित किया जाएगा।

अपवाद—इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर न होगा :—

(क) कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति—

(i) जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या सर्वजन संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में है, अथवा

(ii) जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती है ;

(ख) कोई ऐसा रूपण जो—

(i) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर या उसमें, अथवा

(ii) किसी मंदिर पर या उसम या मूर्तियों के प्रवहण के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर,

लक्षित, उत्कीर्ण, रंगचित्रित या अन्यथा रूपित हों।

2.3 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 293 निम्नलिखित रूप में है :—

293. जो कोई बीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अश्लील वस्तु, जो अंतिम पूर्व-गामी धारा में निर्दिष्ट है, बेचगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसा करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करेगा (प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा)। सत्रह व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि

2.4 उसी संहिता की धारा 294 निम्नलिखित रूप में है :—

294. जो कोई :— अश्लील कार्य और गाने।

(क) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, अथवा

(ख) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवाड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा,

जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो,

वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

विशेष विधियों में उपबन्ध ।

2.5 अशिष्टता या अश्लीलता से संबंधित विशेष उपबन्ध निम्नलिखित अधिनियमों में हैं :—

(क) ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954,

(ख) अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम 1955,

(ग) भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 की धारा 20,

(घ) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 ।

उपर्युक्त (क) में उल्लिखित अधिनियम कुछ अशिष्ट विज्ञापनों के बारे में तो लागू होता है किन्तु वह यौनिक विकारों से संबंधित ओषधियों और उपचारों के विज्ञापनों तक ही सीमित है । उसका लक्ष्य अशिष्टता या अश्लीलता नहीं है ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 का महत्व ।

2.6 पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित विशेष कानूनी उपबन्ध को अश्लीलता के संदर्भ में बहुत ही कम बार लागू किया जाता है ।[1] सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए अखिल भारतीय प्रवर्तन के लिए व्यापक प्रकृति का जो उपबन्ध अश्लील प्रकाशनों और प्रदर्शनों को दण्डित किए जाने के लिए प्रवृत्त (लागू) किया जा सकता है वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 में ही है ।[2] अतः आगे के अध्याय में इस धारा पर ध्यान दिया जाएगा और यह जांच की जाएगी कि कहां तक इस धारा का विस्तार इस प्रकार किया जाना आवश्यक है जिससे कि उसे घृणोत्पादक विज्ञापनों को रोकने के लिए कारगर उपाय बनाया जाए ।[3]

ऐसा करने से पहले हम इस विषय पर इंग्लिश विधि की जांच करेंगे ।

---

1. यह अशिष्ट विज्ञापनों से सम्बन्धित स्थानीय छिटपुट अधिनियमितियों के बारे में ही लागू होता है ।
2. पीछे पैरा 2.2 ।
3. आगे अध्याय 4 ।

अध्याय 3

इंग्लैंड में विधि

3.1 कामन ला[1] में जनता से ऐसी कोई बात कहना या ऐसा कोई कार्य करना या ऐसी कोई चीज प्रदर्शित करना, जिससे लोक शिष्टता का उल्लंघन होता है, चाहे वह सुनने या देखने वालों को दुराचारी या भ्रष्ट होने के लिए प्रवृत्त करता हो या नहीं, अभ्यारोपित किया जाने वाला एक ऐसा अपराध है जो न्यायालय के विवेकानुसार जुर्माने और कारावास से दण्डनीय है। किन्तु कामन ला से संबंधित इस अपराध के अभियोजनों पर निर्बन्धन भी हैं। कामन लॉ।

3.2 इन्डीसैन्ट एडवर्टिजमेंट्स ऐक्ट, 1889 (अशिष्ट विज्ञापन अधिनियम, 1889) के अधीन (पश्चात्वर्ती अधिनियमितियों द्वारा यथा-अनुपूरित रूप के अधीन) जो कोई व्यक्ति[2] किसी भवन की दीवारों, या खम्बों या पेड़ों आदि पर कोई भी ऐसी चीज चिपकाएगा या उसमें ऐसा कुछ भी लिखेगा जो किसी गली या पगडंडी में किसी व्यक्ति को दिखाई दे अथवा सार्वजनिक मूत्रालय पर चिपकाएगा अथवा गली या पगडंडी में किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगा अथवा किसी मकान या दुकान की खिड़की पर जनता को दृष्टिगोचर होने के लिए कोई ऐसा चित्र या मुद्रित या लिखित वस्तु प्रदर्शित करेगा जो अशिष्ट या अश्लील स्वरूप की है, वह संक्षेपतः दोषसिद्धि पर अधिक से अधिक बीस पौंड की शास्ति या अधिक से अधिक एक मास की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा। जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा चित्र अथवा मुद्रित या लिखित वस्तु इस आशय से देगा या परिदत्त करेगा कि वह चिपकाई या अन्तर्लिखित या परिदत्त या प्रदर्शित की जानी चाहिए वह संक्षेपतः दोषसिद्धि पर अधिक से अधिक पचास पौंड की शास्ति या अधिक से अधिक तीन मास की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा। इन्डीसैन्ट एडवर्टिजमेन्ट्स ऐक्ट, 1889।

एक कान्स्टेबुल (पुलिस का सिपाही) या अन्य पीस आफिसर (शान्ति अधिकारी) किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है जो इन्डीसैन्ट एडवर्टिजमेन्ट्स ऐक्ट, 1889 के विरुद्ध ऐसा अपराध[3] करता हुआ पाया जाता है और जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई अश्लील मुद्रित सामग्री, चित्र आदि जानबूझकर अभिदर्शित करेगा वह वैगरैन्सी ऐक्ट, 1824,[4] अत्र इन्डीसैन्ट डिसप्लेज (कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1881, के अधीन दण्डनीय होगा।

3.3 रतिज रोग की चिकित्सा से संबंधित विज्ञापनों पर भी निर्बन्धन है[5]। रतिज रोग।

3.4 इंग्लैंड में अश्लील संबंधी साधारण विधि आब्सीन पब्लिकेशन्स ऐक्ट, 1959 में है। जो कोई व्यक्ति— अश्लील लेख का प्रकाशन।

(i) कोई लेख प्रकाशित करेगा, चाहे वह लाभ के लिए हो या न हो, या

(ii) कोई अश्लील लेख लाभ के लिए "अपने पास रखेगा" (चाहे वह लाभ उसे हो या किसी दूसरे को हो),[6]

वह दण्डनीय होगा।

"प्रकाशित करेगा" अभिव्यक्ति का अर्थ परिभाषित है और अन्य बातों के साथ यह कोई ऐसे व्यक्ति को भी लागू है जो अश्लील लेख वितरित या परिचालित करता है।[7] अश्लीलता की विस्तृत कसौटी[8] का भी अधिकथन किया गया है।

---

1. हाल्सबरी, चौथा संस्करण, खण्ड 11 (क्रिमिनल ला) पृष्ठ 587 पैरा 10 से पैरा 26 तक।
2. क्रिमिनल ला ऐक्ट, 1948 की धारा 1(2) और क्रिमिनल जस्टिस ऐक्ट, 1967 की धारा 92(1) द्वारा यथा संशोधित और अनुपूरित रूप में इन्डीसैन्ट एडवर्टिजमेन्ट्स ऐक्ट, 1889 की धारा 3।
3. इन्डीसैन्ट एडवर्टिजमेन्ट्स (अमेण्डमेंट) ऐक्ट, 1970 द्वारा यथासंशोधित इन्डीसैन्ट एडवर्टिजमेन्ट्स ऐक्ट, 1889 की धारा 6।
4. हाल्सबरी, चौथा संस्करण, खण्ड 11 (क्रिमिनल ला) पैरा 118 और पैरा 119।
5. वैनरल डीसीज़ ऐक्ट, 1917 की धारा 2, हाल्सबरी, चौथा संस्करण, मैडिसिन से सम्बन्धित खण्ड।
6. आब्सीन पब्लिकेशन्स ऐक्ट, 1959 की धारा 2(1)।
7. आब्सीन पब्लिकेशन्स ऐक्ट, 1959 की धारा 1(3)।
8. आब्सीन पब्लिकेशन्स ऐक्ट, 1959 की धारा 2(6)।

अभियोजन के लिए मंजूरी।

3.5 इंग्लैंड में अश्लीलता के विरुद्ध अभियोजन करने के लिए डाइरक्टर आफ पब्लिक प्रासिक्यूशन्स की सहमति लेना उस दशा में अपेक्षित है जबकि अश्लील सामग्री ऐसी चलाचल वाली फिल्म हो जो 16 मिलीमीटर से कम चौड़ी न हो और उसका प्रकाशन चलचित्र (सिनेमा) के प्रदर्शन के दौरान होता हो या होने की आशा है।[1]

बिना मांगी गई सामग्री का भेजा जाना।

3.6 बिना मांगी गई ऐसी सामग्री का भेजा जाना जिसमें मानवीय मैथुन तरीकों का वर्णन हो या ऐसी सामग्री के विज्ञापनों को बिना मांगे भेजा जाना अपराध है।[2]

1981 का ऐक्ट 1।

3.7 अभी हाल ही में (1981 में) इंग्लैंड में अश्लील सामग्री के लोक प्रदर्शन के बारे में "नए उपबन्ध" करने के लिए एक ऐक्ट (अधिनियम) अधिनियमित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अश्लील प्रदर्शनों के "लोक न्यूसेन्स" पहलू को रोकना था जैसे कि (i) सिनेमा क्लब के इश्तहार (पोस्टर), (ii) पुस्तकों की दुकानों की खिड़कियों पर ऐसा प्रदर्शन जिसे लोग रास्ता चलते समय या दुकान के अन्दर कोई चीज (जैसे कि सिगरेट या चाकलेट खरीदने के लिए जाने पर देखे बिना न रह सके), (iii) खिड़कियों पर लैंगिक चित्रों का प्रदर्शन।[3]

इस ऐक्ट[4] में किसी अश्लील सामग्री का लोक प्रदर्शन के लिए "बनाना", "कारित करना" या "अनुमति देना" अपराध माना गया है। पुराने कानूनी अपराध निरस्त कर दिए गए हैं।

इन्डीसेन्ट डिसप्लेज एटसैट्रा एक्ट, 1981 की धारा 1(1)।

3.8 1981 के ऐक्ट का मुख्य उपबन्ध [धारा 1 (1)] निम्नलिखित रूप में है:—

"1. (1) यदि किसी अश्लील सामग्री का लोक प्रदर्शन किया जाएगा तो ऐसा प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति और ऐसा प्रदर्शन कारित करने वाला या प्रदर्शन करने की अनुमति देने वाला व्यक्ति अपराध के लिए दोषी होगा।" यह धारा बी. बी. सी. या आई. टी. ए. द्वारा दूरदर्शन प्रसारणों (टलिवीजन ब्राडकास्ट्स) कला-वीथियों (आर्ट गैलरीज) या संग्रहालयों, नाटकों के प्रस्तुतीकरण और लाइसेंन्स प्राप्त स्थानों में चलचित्र (सिनेमा) प्रदर्शनों को लागू नहीं होती है।

अश्लील सामग्री।

3.9 "सामग्री" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत ऐसी कोई चीज भी है जो प्रदर्शित की जा सकती हो किन्तु इसके अन्तर्गत वास्तविक मानव-शरीर या उसके अंग नहीं हैं [धारा 1(5)]।

1981 के ऐक्ट में "अशिष्ट" अभिव्यक्ति की परिभाषा नहीं दी गई है। इसके सदृश विधियों के बारे में किए गए विनिर्णयों (रूलिंग्स) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस शब्द का अर्थ किया जाना चाहिए[5]।

3.10 1981 के इंग्लिश ऐक्ट के अधीन दंड निम्नलिखित रूप में है:—

(क) संक्षेपततः दोषसिद्धि पर जुर्माना जो कानून द्वारा विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा;

(ख) अभ्यारोपण (इन्डिक्टमेंट) की दोषसिद्धि (कन्वीक्शन) पर दो वर्ष तक का कारावास या दोनों (धारा 4)।

1981 के ऐक्ट के अधीन गिरफ्तारी।

3.11 1981 के ऐक्ट के अधीन अपराधी को वारंट के बिना तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब कि उसने अपना मिथ्या नाम और पता दिया हो, अन्यथा नहीं, किन्तु कान्सटेबल (पुलिस का सिपाही) किसी ऐसी वस्तु को अभिगृहीत कर सकता है जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हों कि वह अश्लील है या उसमें अश्लील सामग्री रखी हुई है और ऐक्ट के अधीन अपराध करने में उसका उपयोग किया गया है।

---

1. आब्सीन पब्लिकेशन्स ऐक्ट, 1959 की धारा 2(3)।
2. अनसालिसिटेड गुड्स ऐक्ट सर्विसेज ऐक्ट, 1971 की धारा 4, देखिए डी. पी. पी. बनाम बिड वहसो (यू. के.) लिमिटेड (1974) 1 आई ई. आर. 753।
3. गिस्टर दी सैनशबरी, एच. सी. डिबैट्स वाल्यूम 997, 1167।
4. इन्डीसैन्ट डिसप्लेज (कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1981 (सी. एच. 42) (इंग्लैण्ड) देखिए आर. आर. डी. एच. स्टोन, आउट आफ साइट, आउट आफ माइन्ड (जनवरी 1982), 45 माडर्न ला रिव्यू।
5. आर. बनाम् स्टमफोर्ड (1972) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 1055।

अध्याय 4

धारा 292 में संशोधन की आवश्यकता

क्या सुधार की आवश्यकता है?

4.1 भारत में वर्तमान कानूनी ढांचे की स्थिति बता दिए जाने और विकास की कुछ अन्य बातों पर ध्यान दिए जाने के बाद हमें अब इस प्रश्न की जांच करना है कि क्या अश्लील या अशिष्ट विज्ञापनों को प्रकाशित करने की प्रवृत्ति को भय द्वारा रोकने के लिए किन्हीं परिवर्तनों की आवश्यकता है? प्रत्यक्षत: यह प्रतीत होता है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 का साधारण उपबन्ध, जो अश्लील प्रकाशनों को दंडित करता है,[1] इसे रोकने के लिए आशयित है और इसका उपयोग (एक दृष्टिकोण के अनुसार)[2] अश्लील विज्ञापनों को किसी बड़ी कठिनाई के बिना रोकने के लिए किया जा सकता है। जिस रूप में अश्लीलता की परिभाषा धारा 292(1) में अधिनियमित की गई है उस रूप में उससे यह प्रतीत होता है कि इसके अन्तर्गत ऐसे सभी प्रकाशन आ जाते हैं जिनके बारे में उचित रूप में इस आधार पर आक्षेप किया जा सकता है कि उस अश्लील सामग्री के पढ़ने वालों की नैतिकता या सदाचार पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 की स्कीम।

4.2 किन्तु जैसा अभी आगे बताया जाएगा धारा 292 में विधि जिस रूप में है उस रूप में उसकी कुछ बातों के बारे में सुधार करने की गुंजाइश है। विद्यमान धारा 292 (2) में जो कमी है उसका हम पहले उल्लेख करेंगे। इस कमी को समझने के लिए धारा 292 का पहले विश्लेषण करना वांछनीय है। इस धारा[3] के अपवाद को अलग कर देने पर इस धारा की स्कीम इस प्रकार है कि इस धारा के प्रारम्भ में मूल दाण्डिक उपबन्ध नहीं है बल्कि "अश्लील" की परिभाषा दी गई है [जो उपधारा (1) में है]। अपराध बनाने वाला और उसके लिए दण्ड देने वाला दाण्डिक उपबन्ध उपधारा (2) में प्रकट होता है। इसमें भी खण्ड (क) पर ही ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है, क्योंकि शेष खण्ड वर्तमान प्रयोजन के लिए तात्विक नहीं है।

धारा 292(1) और धारा 292 (2) की तुलना।

4.3 अब यदि धारा 292 की उपधाराओं (1) और (2) को पढ़ा जाता है तो यह पता लगता है कि एक बात के बारे में इन दोनों में अन्तर है, भले ही इस अन्तर को सम्भवत: केवल शाब्दिक अन्तर माना जाए। इन दोनों उपधाराओं के सुसंगत अंशों को दो समानान्तर स्तम्भों में निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है —

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 (1)	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 (2) (क)
	"जो कोई"—
"उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जाएगा—"	(क) किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे वह कुछ भी हो, बेचेगा, भाड़े पर देगा वितरित करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा या उसको किसी भी प्रकार परिचालित करेगा—"।

यह ध्यान देने की बात है कि धारा 292 (1) में "लेख" शब्द का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है किन्तु यह शब्द धारा 292 (2) (क) में नहीं दिया गया है। पश्चात्वर्ती धारा को उस परिभाषा से, जो पूर्ववर्ती धारा में दी गई है, पूरा फायदा नहीं मिलता है।

क्योंकि धारा 292(2) (क) एक मूल दाण्डिक उपबन्ध है अत: यह वांछनीय है कि इसे धारा 292 (1) से, जो परिभाषित करने वाला उपबन्ध है, पूरा फायदा मिलना चाहिए।

1. पीछे पैरा 2.2।
2. देखिए आगे पैरा 4.4।
3. पीछे पैरा 2.2।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292(2)(क) का संभाव्य संशोधन।

4.4 निःसंदेह यह तर्क किया जा सकता है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292(1) और धारा 292(2)(क) में जो असंगति उपर्युक्त विश्लेषण[1] द्वारा प्रकट की गई है उसे "किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे वह कुछ भी हो" शोषांश शब्दों को, जो धारा 292(2)(क) में आते हैं, व्यवहार में प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। किन्तु विवाद से बचने के लिए यह वांछनीय प्रतीत होता है कि भारतीय दण्ड संहिता का संशोधन उसमें "कागज" शब्द के पश्चात् "लेख" शब्द अन्तःस्थापित करके किया जाना चाहिए। इस संशोधन के पश्चात् इस धारा के अन्तर्गत ऐसे लिखित अश्लील विज्ञापन, विशेष करके ऐसे विज्ञापन आ जाएंगे जो नियतकालिक पत्रिकाओं और इश्तहारों में लिखे जाते हैं।

---

1. पीछे पैरा 4.3।

अध्याय 5

अशिष्टता और अश्लीलता—धारा 293क को अन्तः स्थापित करने की आवश्यकता

5.1 इस विधि के विस्तार के सम्बन्ध में एक दूसरे प्रश्न की भी विस्तार पूर्वक जांच करना आवश्यक है। अश्लील सामग्री के लोक प्रदर्शन का विषय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के अन्तर्गत आता है। किन्तु इस धारा में ऐसी सामग्री के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो अश्लील न होते हुए केवल अशिष्ट है। क्या इस दाण्डिक विधि का विस्तार बढ़ा देना चाहिए जिससे कि उक्त सामग्री भी इसके अन्तर्गत आ जाए? इसी यथार्थ प्रश्न पर विचार किया जाना है। अशिष्ट सामग्री।

5.2 प्रत्यक्षतः यह प्रतीत होता है कि विधि ऐसे कार्यों को भी लागू होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में ऐसे विधान के लिए अनुमति दी गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि गुणागुण के आधार पर अशिष्ट सामग्री के लोक प्रदर्शन को दण्डित किया जाना ठीक होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि काफी बड़ी संख्या में ऐसे लेख, चित्र और अंगविक्षेप, जो लैंगिक प्रदर्शन के स्वरूप के कारण अशिष्ट हैं, इस अर्थ में अश्लील भी होंगे कि उनसे दर्शकों या पाठकों के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो जिससे कि वे दुराचारी और भ्रष्ट बन जाएं। किन्तु सिद्धान्त के रूप में तो कल्पना की जा सकती है कि ऐसी भी कोई अशिष्ट सामग्री होगी जो अश्लील न हो, भले ही उसके प्रदर्शन या प्रकाशन से होने वाली हानि नगण्य हो और उसके बार-बार प्रदर्शन या प्रकाशन से कोई खतरा न हो फिर भी इस विषय पर विचार किया जाना अपेक्षित है। यहां इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए कि भारतीय दण्ड संहिता[1] में अशिष्ट सामग्री के प्रकाशन के लिए दण्ड की व्यवस्था नहीं है। विचार किया गया प्रश्न

5.3 अशिष्टता के विषय के बारे में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए जाने से पहले दो मुद्दों पर विचार करना अपेक्षित है, अर्थात् :— विचारणीय प्रश्न।

(क) "अशिष्ट" अभिव्यक्ति का साधारण रूप में विस्तार, और

(ख) एक विशेष प्रश्न, अर्थात्, क्या "अशिष्ट" होने के लिए उसकी विषय-वस्तु केवल लैंगिक विषयों तक ही सीमित है या क्या इसके विस्तार के अन्तर्गत अन्य विषय भी आते हैं?

5.4 जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है, विधायी पूर्व दृष्टान्तों से कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है। "अशिष्ट" की कोई विधायी परिभाषा नहीं की गई है। विधायी प्रथा में कभी-कभी इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी अकेले इसका प्रयोग किया जाता है और अन्य अवसरों पर "अश्लील" या "कामुक" शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। किन्तु इसका ठीक-ठीक क्षेत्र अभी तक परिनिश्चित नहीं किया गया है। विधायी प्रथा।

यह तथ्य कि "अशिष्ट" शब्द की परिभाषा नहीं की गई है और भिन्न-भिन्न लोगों का इसके बारे में भिन्न-भिन्न मानदण्ड है, 1980 के इंग्लिश ऐक्ट के बारे में किए गए विचार-विमर्श के दौरान स्वीकार किया गया था[2]। इंग्लैंड में विलियम्स कमेटी का यह विचार था कि "अशिष्ट" शब्द इतना अस्पष्ट[3] और भ्रमपूर्ण है कि यह निरर्थक हो जाता है। तथ्य तो यह है कि इंग्लैंड में जब प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन ऐक्ट, 1978 से सम्बन्धित विधेयक पर विचार विमर्श किया जा रहा था तब "अशिष्ट" शब्द की अस्पष्टता को उक्त ऐक्ट के अधीन अभियोजनों के लिए डाइरेक्टर आफ प्रोसिक्यूशन्स की सहमति की अपेक्षा करने के लिए न्यायोचित बताया गया था[4]।

5.5 ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लैंड में विलियम्स कमेटी[3] ने "अशिष्ट" अभिव्यक्ति की अस्पष्टता के बारे में यह दृष्टिकोण अपनाया था कि यदि इस अभिव्यक्ति की परिभाषा करनी ही है तो "समुचित लोगों के लिए घृणोत्पादक" जैसे किसी फार्मूले पर विचार करना होगा। विलियम्स कमेटी का सुझाव।

---

1. पीछे अध्याय 2।
2. टी० हैनसार्ड, एच० सी० डिबेट्स खण्ड 997, स्तम्भ 1196।
3. कमेटी आन आबसेनिटी एण्ड फिल्म सैन्सरशिप (1979) सी एम डी 7772, पैरा 9.2।
4. शाह० बनाम ब्रूक्स (1973) स० सी० 435 (एच० एल०)।

एक अमरीकी विनिर्णय।

5.6 यहां अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के एक विनिश्चय का उल्लेख कर देना भी समुचित होगा जिसमें न्यायालय को प्रसारण-विषय के विनियमन के संदर्भ में एक "अशिष्ट" भाषण के प्रश्न पर विचार करना पड़ा था[1]। इस मामले में फैडरल कम्यूनिकेशन्स कमीशन के उस प्राधिकार को चुनौती दी गई थी जो रेडियो प्रसारण के विनियमन के माध्यम से विषय-वस्तु की गुणवत्ता (क्वालिटी) का नियंत्रण करने के लिए था और जिस प्राधिकार के अधीन वह कमीशन किसी प्रसारण को "अशिष्ट" मानता है किन्तु अश्लील नहीं मानता है "उस प्राधिकार को चुनौती दी गई थी"। यह मामला रिकार्ड किए गए एक-एक पाली नाटक में स्वगत कथन के बारे में था जिसका प्रसारण न्यूयार्क रेडियो स्टेशन से एक दिन अपराह्न में भाषा के सम्बन्ध में समकालीन दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श के भाग के रूप में किया गया था। स्वगत कथन का शीर्षक था "गन्दे शब्द" और प्रसारण के प्रारम्भ में यह सलाह दी गई थी कि रिकार्ड में "ऐसी संवेदनशील भाषा है जो कुछ लोगों को घृणोत्पादक लग सकती है" पांच सप्ताह के पश्चात् फैडरल कम्यूनिकेशन्स कमीशन ने एक श्रोता से एक परिवाद प्राप्त किया जिसने उस प्रसारण को अपने पन्द्रह वर्षीय पुत्र के साथ यान चलाते समय सुना था। कमीशन ने परिवाद मंजूर कर लिया यद्यपि उसने रेडियो स्टेशन पर औपचारिक अनुशास्ति अधिरोपित करने से इंकार कर दिया। कमीशन का निष्कर्ष यह था कि जिन सात शब्दों का प्रसारण किया था और जिनके बारे में आक्षेप किया गया था उनमें "ऐसे ढंग से लैंगिक और मलोत्सर्गी क्रियाकलापों का वर्णन किया गया था जो समकालीन समुदाय के मानदण्डों के अनुसार प्रसारण माध्यम से प्रसारित किए जाने के लिए प्रत्यक्षतः घृणोत्पादक थे।" अतः प्रश्नास्पद शब्द "अशिष्ट" थे और 18 यूनाइटेड स्टेट्स कोड की धारा 1464 द्वारा प्रतिषिद्ध थे। यह धारा, "रेडियो संचार के माध्यम से किसी अश्लील, अशिष्ट या असभ्य भाषा" के प्रयोग को निषिद्ध करती है। कमीशन ने स्पष्ट रूप से यह कथन करते हुए कि यह धारा जिस "अशिष्ट" भाषण को नियंत्रित करना चाहती थी वह अश्लीलता की धारणा के अन्तर्गत नहीं आता है, प्रसारण माध्यम की "अनोखी विशेषताओं" के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने को न्यायोचित ठहराया।

5.7 फैडरल कम्यूनिकेशन्स कमीशन के इस निर्णय को कोलम्बिया सर्किट के डिस्ट्रिक्ट के लिए अमरीकी कोर्ट आफ अपील ने विभाजित पैनेल के मत के अनुसार उलट दिया। अपील किये जाने पर अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट आफ अपील के निर्णय को (चार के विरुद्ध पांच के बहुमत से) उलट दिया। मिस्टर जस्टिस स्टेवेन्स ने इस दलील को नामंजूर कर दिया कि 18 यूनाइटेड स्टेट्स कोड की धारा 1464 में "अशिष्ट" का अर्थ "अश्लील" से और कुछ अधिक नहीं है। उन्होंने यह अवधारित किया कि कामुकता उत्पन्न करना अश्लीलता का एक तत्व है किन्तु "अशिष्ट" की सामान्य परिभाषा में केवल "नैतिकता के स्वीकृत मानदण्डों का पालन न किए जाने का उल्लेख होता है।" उन्होंने यह बात मान ली कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले "अशिष्ट" शब्द का अर्थ (जो इसी के सदृश कानूनों में आता है) "अश्लील" के अर्थ में किया था। किन्तु उन्होंने यह तर्क दिया कि धारा 1464 का जो इतिहास है और जिस प्रकार के माध्यम के संबंध में यह धारा है उनके कारण प्रस्तुत मामले में इस शब्द का भिन्न अर्थ किया जाना आवश्यक है।

संवैधानिक प्रश्न।

5.8 इस निर्णय ने इस प्रश्न का अवधारण कर दिया कि क्या विवादास्पद कानून कमीशन को विवादास्पद भाषण का नियन्त्रण करने के लिए प्राधिकृत करता है? किन्तु संवैधानिक प्रश्न अभी हल नहीं हो सका, अर्थात् यह प्रश्न कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्वचन किया है क्या वह संवैधानिक रूप से स्वीकृत भाषण को निषिद्ध करता है? मिस्टर जस्टिस स्टेवेन्स ने अशिष्ट सामग्री के प्रकट किए जाने को कम संवैधानिक संरक्षण दिया जाना न्यायोचित ठहराने के लिए प्रसारण माध्यम की दो विशेषताओं को अलग-अलग कर दिया: (1) प्रसारण माध्यम गृहस्थी के संरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण करके अनोखे ढंग से व्यापक प्रस्तुति करते हैं, और (2) ऐसे बालकों के लिए, जिनकी देखभाल नहीं की जाती है, ऐसे प्रसारण अनोखे रूप में उपलब्ध होते हैं।

एक विद्वान आलोचक ने उपर्युक्त मामले[2] की आलोचना करते हुए यह विचार प्रकट किया है कि मिस्टर जस्टिस स्टेवेन्स ने एकान्तता का जो तर्क दिया था उसमें कुछ कमी थी किन्तु युवा बालकों के लिए संरक्षण का तर्क जोरदार हो सकता है। इस आलोचना में आगे यह भी कहा गया है कि यह मामला ऐसी "अनुमति देने वाले" अर्थ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि यह अशिष्ट भाषण को विनियमित करने वाली फैडरल कम्यूनिकेशन्स कमीशन की शक्ति की अन्दरूनी मूल बात की परिभाषा करता हो बल्कि इसे "निर्बन्धन लगाने वाले" अर्थ में और उस शक्ति की बाह्य सीमा को निश्चित करने के अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए। इस आलोचना में

---

1. एफ. सी. सी. बनाम् पैसिफिका फाउन्डेशन (1978), 98 सुप्रीम कोर्ट, 3036।
2. सुप्रीम कोर्ट, 1977 टर्म (1978) 92 हार्व. एल. आर. 57, 162।

आगे यह भी बताया गया है कि यह मामला प्रसारण के केवल "समय क्रम" को प्राधिकृत करता है कि प्रसारण में कब लैंगिक या मलोत्सर्गी क्रियाकलापों का वर्णन करने में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जब वह अधिकांश लोगों के लिए घृणोत्पादक होती है, (2) ऐसी भाषा आनुषंगिक रूप में नहीं बल्कि बार-बार प्रयोग की जाती है, (3) दिन में ऐसे समय पर प्रयोग की जाती है जब श्रोतागण में बालकों के उपस्थित होने की सम्भावना है, और (4) बालकों पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है[1]।

अश्लीलता की परिभाषा के बारे में सम्भाव्य दृष्टिकोण।

5.9 यह बता देना आवश्यक है कि अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के इस विनिर्णय में "अशिष्टता" की परिभाषा करने की चेष्टा नहीं की गई है। यह विनिश्चय फैडरल कम्यूनिकेशंस कमीशन की उस कार्रवाई का अनुमोदन करता है जो उसने अशिष्ट कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह निर्बन्धन लगाने के लिए की है कि किस समय और किस ढंग से इसे प्रसारित किया जाना है। वस्तुतः यह विनिर्णय संवैधानिक पहलू की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करता है और हमें यह याद दिलाता है कि भाषण और अभिव्यक्ति पर निर्बन्धन--जिसके अन्तर्गत अशिष्ट भाषण पर भी निर्बन्धन है---आवश्यक ही संवैधानिक कसौटी के अनुकूल होने चाहिए।

यह सम्भव है कि "अशिष्ट" अभिव्यक्ति में जो संदिग्धार्थता है वह कुछ हद तक उस दशा में कम की जा सकती है जबकि इस बुराई के विस्तार को ऐसे कुछ विशेषक शब्दों में परिभाषित किया जाए जिनसे ठीक-ठीक अर्थ प्रकट हो। हम बाद में एक ठोस सुझाव देंगे[2]।

"अशिष्टता" में लैंगिक विषयवस्तु।

5.10 एक दूसरा प्रश्न लैंगिक विषय-वस्तु के सम्बन्ध में है। एक दृष्टिकोण[3] के अनुसार अशिष्टता केवल लैंगिक अशिष्टता तक सीमित नहीं है बल्कि इसके अन्तर्गत ऐसी कोई भी बात है जिससे किसी भी शिष्ट साधारण पुरुष या महिला को आघात पहुंच सकता है, जो उसे अरुचिकर और वीभत्स लग सकती है इस दृष्टिकोण का उल्लेख इस विधेयक के विचार-विमर्श के दौरान किया गया था जो 1981 का इंग्लिश एक्ट बना किन्तु विचार-विमर्श में अधिकांश वक्ताओं की "अशिष्टता" को लैंगिक विषय-वस्तु की अशिष्टता तक ही सीमित माना।

पोस्ट आफिस ऐक्ट में "अशिष्टता" और "अश्लीलता"।

5.11 इंगलैंड में डाक से "अशिष्ट या अश्लील" लेख आदि अथवा अशिष्ट या अश्लील वस्तु भेजा जाना कानून द्वारा दंडनीय है। पोस्ट आफिस ऐक्ट, 1953 की धारा 11 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "अशिष्ट या अश्लील" शब्द एक विचार को प्रकट करते हैं, अर्थात् "ऐसे शब्द जो औचित्य के मान्यता-प्राप्त मानदण्डों को आघात पहुंचाते हैं और इनकी निम्नतर श्रेणी "अशिष्ट" होती है तथा उच्चतर श्रेणी "अश्लील" होती है"..... कोई अशिष्ट वस्तु निश्चित रूप से अश्लील नहीं होती है जब कि कोई भी अश्लील वस्तु निश्चित रूप से अशिष्ट होती है"[4]। यह संभव है कि "अशिष्ट" अभिव्यक्ति (पोस्ट आफिस ऐक्ट में) लैंगिक अशिष्टता तक सीमित न हो और इसके विस्तार में अनुचित सामग्री भी आती हो[5]।

क्या लैंगिक अशिष्टता आवश्यक है?

5.12 कुछ बातों पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि "अशिष्ट" प्रकृति के अधिकांश विषय अपने लैंगिक भावार्थ के कारण घृणोत्पादक हो सकते हैं किन्तु ऐसे विषय भी हो सकते हैं जो अलैंगिक वर्णन या चित्रण से शिष्टता का उल्लंघन करते हों। इसलिए इस संबंध में किसी प्रस्ताव को लैंगिक अशिष्टता तक ही सीमित करना आवश्यक नहीं हो सकता।

अशिष्ट प्रदर्शन।

5.13 अशिष्टता की समस्या मुख्य रूप से ऐसी अशिष्टता को दूर करने के बारे में है जो लोक प्रदर्शनों या विज्ञापनों द्वारा सार्वजनिक शिष्टता का उल्लंघन करने से उत्पन्न होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस विषय के संबंध में विधायी प्रस्तावों में उन मुद्दों पर ध्यान देना होगा जिन के बारे में पूर्ववर्ती पैरों में विचार-विमर्श किया गया है और उन प्रस्तावों को ऐसे विषयों के बारे में सीमित रखने के लिए विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक होगा जो विवेकशील व्यक्तियों को आघात पहुंचाते हैं---यह आवश्यक नहीं है इन प्रस्तावों में ऐसी प्रत्येक बात को सम्मिलित किया जाए जो किसी अतिसंवेदनशील व्यक्ति को आघात पहुंचाती हो।

---

1. एफ.सी.सी. बनाम् पैसिफिक फाउन्डेशन (1978), 98, सुप्रीम कोर्ट 3026, 3035, 3040, 3041, नोट 29 और 3052।
2. आगे पैरा 5.14।
3. आर. बनाम् खुल्लर (1973) ए.सी. 435 (एच. एल.) (लार्ड रीड के मतानुसार)।
4. स्टैनले (1965), 1 आल. इ. आर. 1035।
5. स्मिथ एंड होगन, क्रिमिनल ला (1978) पृष्ठ 796, 797।

अश्लिष्ट विज्ञापन और प्रदर्शन— सम्भाव्य संशोधन।

5.14 उपर्युक्त सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् एक उपाय यह हो सकता है कि भारतीय दण्ड संहिता में एक विनिर्दिष्ट धारा अश्लिष्टता के बारे में लागू की जाने के लिए अंत:स्थापित की जाए। एक नई धारा जोड़ करके उसमें निम्नलिखित रूप से संशोधन किया जा सकता है :—

भारतीय दण्ड संहिता में अन्त:स्थापित की जाने वाली धारा 293क—

(1) धारा 292 और धारा 293 के उपबन्ध ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अश्लिष्ट सामग्री का लोक प्रदर्शन करेगा, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस व्यक्ति को लागू होते हैं जो इन धाराओं के अंतर्गत आने वाली अश्लील सामग्री के संबंध में इन धाराओं के अधीन अपराध करेगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यदि कोई सामग्री विवेकशील व्यक्तियों को शिष्टता की दृष्टि से घृणोत्पादक लगती है तो वह सामग्री अश्लिष्ट है।

अध्याय 6

कार्य संचालन पत्र के बारे में प्राप्त आलोचनाएं

6.1 आयोग ने इस विषय के बारे में जो कार्य संचालन पत्र परिचालित किया था उसमें वे सब बातें जो पूर्ववर्ती अध्यायों में बतायी गई हैं, इसलिए सम्मिलित की गई थी,[1] जिससे कि मुद्दों को ठोस रूप में प्रस्तुत किया जा सके और महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना सुगम हो सके। हितबद्ध व्यक्तियों और निकायों से निम्नलिखित बातों की आवश्यकता के बारे में आलोचनाएं भेजने का अनुरोध किया गया था :— कार्य संचालन पत्र।

(1) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292(2)(क) का उस रूप में संशोधन किया जाए जिस रूप में उसे कार्य संचालन पत्र में बताया गया था और जो इस रिपोर्ट में वर्णित रूप में ही था[2]; और

(2) उस संहिता में एक नई धारा 293क को अंतःस्थापित किया जाए, जैसा कि कार्य संचालन पत्र में प्रस्तावित था—यह प्रस्ताव इस रिपोर्ट में वर्णित रूप में ही था[3]।

6.2 निम्नलिखित सरकारों और उच्च न्यायालयों आदि से कार्य संचालन पत्र के बारे में आलोचनाएं प्राप्त हुई हैं[4] :— कार्य संचालन पत्र के बारे में प्राप्त आलोचनाएं।

(क) दो राज्य सरकारें,[5]

(ख) एक उच्च न्यायालय,

(ग) दिल्ली में स्थित एक सामाजिक संगठन[7] और उस संगठन से[8] सम्बद्ध कुछ सज्जन, तथा

(घ) एक व्यक्ति[9]।

6.3 (क) कार्य संचालन पत्र के बारे में राज्य सरकारों और एक उच्च न्यायालय से प्राप्त आलोचनाएं[10] उन दोनों संशोधनों के पक्ष में जो कार्य संचालन में बताए गए थे[11]। संशोधन के पक्ष में आलोचनाएं।

(ख) उपर्युक्त सामाजिक संगठन से और उससे सम्बद्ध सज्जनों से प्राप्त आलोचनाएं सार रूप से उन संशोधनों[12] के पक्ष में हैं जो आयोग द्वारा बनाए गए हैं किन्तु उन्होंने कुछ अतिरिक्त सुझाव भी दिए हैं। हम इस अध्याय[13] में आगे ऐसी कुछ अतिरिक्त बातों की चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं।

(ग) अन्त में, एक सज्जन[14] ने (अशिष्ट) विज्ञापनों के बुरे प्रभावों पर जोर देते हुए जन संचार माध्यमों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

6.4 अब हम कुछ आलोचनाओं में उठाई गई कुछ बातों पर विचार करेंगे जिनमें सबसे पहला सुझाव यह है कि क्या "अश्लील" की फिर से ऐसी परिभाषा करनी चाहिए जिसमें यह उपबन्ध किया जाए कि जो वस्तु कामुक विचार, क्रिया या संवेदन उत्पन्न कर सकती हो उसे अश्लील माना जाना चाहिए? यह भी सुझाव दिया गया है कि ऐसी वस्तु को अश्लील माना जाना चाहिए जिसे कोई व्यक्ति अपने बड़े बालकों की उपस्थिति में नहीं देख सकता हो। विचार की गई कुछ बातें क्या "अश्लील" की परिभाषा का पुनरीक्षण किया जाए?

---

1. विधि आयोग, कार्य संचालन पत्र तारीख 15 सितम्बर, 1985।
2. पीछे पैरा 4.4।
3. पीछे पैरा 5.14।
4. 10 नवम्बर, 1984 तक प्राप्त सभी आलोचनाओं पर ध्यान दिया गया है।
5. विधि आयोग की फाइल सं. 2(12) 84 एल. सी. तारीख 17 और 29 अक्तूबर, 1984 के पत्र।
6. विधि आयोग की फाइल सं. 2(12) 84, एल सी. तारीख 25 अक्तूबर, 1984 का पत्र।
7. नीति मंच, दिल्ली।
8. विधि आयोग की फाइल सं. 2(12) 84 एल. सी. क्रम सं. 3 से क्रम सं. 5 तक।
9. विधि आयोग की फाइल सं. 2(12) 84 एल. सी. क्रम सं. 6।
10. विधि आयोग की फाइल सं. 2(12) 84 एल. सी. 17, 25 और 29 अक्तूबर, 1984 केवल।
11. पीछे पैरा 6.1
12. विधि आयोग की फाइल सं. 2(12) 84 एल. सी. क्रम सं. 3, 4, 5।
13. आगे पैरा 6.4
14. विधि आयोग की फाइल सं. 2(12) 84 एल. सी. क्रम सं. 6।

किन्तु हमारे विचार में अश्लीलता के संबंध में वर्तमान धारणा दण्ड संहिता[1] में जिस प्रकार से उपबंधित है उसमें ऊपर वर्णित दृष्टकोण के कारण कोई सारवान् परिवर्तन करने की आवश्यक्ता नहीं है। अश्लीलता के संबंध में वर्तमान धारणा से कोई सारवान् समस्या उत्पन्न नहीं हुई है और यह धारणा न्यायिक विनिश्चयों के परिणामस्वरूप तथा संवैधानिक अपेक्षाओं पर सम्यक् ध्यान देने से बनी है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि इसकी परिभाषा के अधिक व्यापक या उदार होने की त्रुटि का पता नहीं चला है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि न्यायपालिका ने इसके बारे में विभिन्न प्रकार की धारणाएं लागू की होंगी और किसी न्यायाधीश ने इसका जो निर्वचन किया होगा उससे भिन्न निर्वचन किसी दूसरे न्यायाधीश ने किया होगा। किन्तु इससे बचा नहीं जा सकता।

अन्य सुझाव।

6.5 यह सुझाव दिया गया है कि अश्लीलता के आरोपों के विचारण में जूरी पद्धति को शुरू करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुझाव इस उपधारणा पर आधारित है कि इस समय न्यायाधीश विधि के बारे में अत्यधिक उदार दृष्टकोण अपना रहे हैं। किन्तु धारा 292 के संबंध में रिपोर्ट किए गए विनिश्चयों से इस उपधारणा का समर्थन किया जाना प्रकट नहीं होता है। इसी प्रकार से यह सुझाव कि अश्लीलता के लिए दण्ड और अधिक कठोर होना चाहिए हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे पास जो विचार भेजे गए हैं उनमें से कुछ के बारे में हमें वास्तव में यह पता चलता है कि ऐसे अनेक व्यक्तियों का—विशेषकर ऐसी महिलाओं का—यही विचार है जो यह अनुभव करते हैं कि अश्लीलता से संबंधित विधि का विस्तार सीमित है और जो इस क्षेत्र में बेहतर नैतिक वातावरण उत्पन्न करने में समाज के योगदान पर जोर देना चाहते हैं।

—

हमने सभी आलोचनाओं को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है और यह निष्कर्ष निकाला है कि इनमें उठाई गई बातों का जहां तक संबंध है उनसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 में कोई अन्य सुधार करने की आवश्यकता नहीं है।

पूर्व सेंसर करने का प्रश्न।

6.6 कभी-कभी यह सुझाव दिया जाता है—यद्यपि हल्के ढंग से—कि विज्ञापनों को सेंसर करने की पद्धति होनी चाहिए। हम इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई का जोरदार विरोध करते हैं। अन्य किसी बात के अलावा ऐसे विधिक उपबन्ध की संवैधानिकता को (विज्ञापनों के संबंध में) संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में विनिर्दिष्ट "शिष्टता" या और "नैतिकता" शीर्षकों के संदर्भ में कायम रखना बहुत ही कठिन होगा[2]।

---

1. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292।
2. ऊषा उदय बनाम् दि स्टेट आफ वैस्ट बंगाल ए. आई. आर. 1984, कलकत्ता, 268, 275 (सितम्बर)।

अध्याय 7

सिफारिशें

सिफारिशें।

7.1 पूर्ववर्ती अध्यायों में किए गए विचार-विमर्श को दृष्टि में रखते हुए हम भारतीय दण्ड संहिता का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें कर रहे हैं :—

(1) संहिता की धारा 292(2)(क) का संशोधन पहले ही बताए गए तरीके पर किया जाना चाहिए[1]।

"हम जो सिफारिश कर रहे हैं वह यह है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292(2)(क) का संशोधन उसमें "कागज" शब्द के पश्चात् "लेखे" शब्द अन्तःस्थापित करके किया जाना चाहिए।"

(2) संहिता में निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जानी चाहिए।

धारा 293क (जैसी सिफारिश की गई है उस रूप में)—

"(1) धारा 292 और धारा 293 के उपबन्ध ऐसे व्यक्ति को, जो कोई अशिष्ट सामग्री लोक प्रदर्शित करेगा, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस व्यक्ति को लागू होते हैं जो इन धाराओं के अन्तर्गत आने वाली अश्लील सामग्री के संबंध में इन धाराओं के अधीन कोई अपराध करेगा।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए, यदि कोई सामग्री विवेकशील व्यक्ति को शिष्टता की दृष्टि से वृणोत्पादक लगती है तो वह सामग्री अशिष्ट है।"

(के. के. मैथ्यू)
अध्यक्ष

(जे. पी. चतुर्वेदी)
सदस्य

(डा. एम. बी. राव)
सदस्य

(पी. एम. बक्षी)
अंशकालिक सदस्य

(वेपा. पी. सारथी)
अंशकालिक सदस्य

(ए. के. श्रीनिवासमूर्ति)
सदस्य-सचिव

तारीख : 8 जनवरी, 1985

1. पिछला पैरा 4.4।

84-M/B(N)941M of LJ&CA—250—15-2-86—GIPS